

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1.	परियोजना का नाम	Laying of Optical fiber Cable Line पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/54970/2020
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED RAIPUR (C.G.)
3.	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	भूमिगत दूर संचार लाईन बिछाना हेतु प्रस्तावित है।
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	विवरण संलग्न हैं।
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	
	(क) आरक्षित वन	0.559
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन:-	9.205
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र:-	1.434
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	Eco Class -III, वन घनत्व 0.4/0.5, वनों की श्रेणी IVa & IVb
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	दूर संचार लाईन बिछाने में किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जावेगा।
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति अच्छी है।
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों) में मुख्य मार्ग से (PWD) आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	मानचित्र पर अंकित
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी ECO LOGICAL SENSITIVE क्षेत्र = (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य Biosphere Reserse प्राकृतिक झील/वाटरवाड़ी आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।	लागू नहीं

11	आवेदित वन क्षेत्र के आलावा अन्य गैर वन क्षेत्र को विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध अथवा नहीं। विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20.00 कि.मी. 2 में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	अन्य गैर वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। या नहीं? यदि हाँ संक्षिप्त विवरण देंगे।	आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र:-

उपरोक्त जानकारी/विवरण द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वन एवं राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थल निरीक्षण दिनांक 14.05.2023 एवं 15.05.2023

(विवेकानन्द झा)

"भा.व.से"

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर